**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12975/2026
CNR: RJHC020797492026 | URN: CRLMB / 23992U / 2026

1. Tareek S/o Shri Nabi Hasan, Aged About 22 Years, R/o Jertha, Police Station Jarifnagar, District Badayun, Uttar Pradesh, Presently Resident Of Sameer Ka Makan No. 142, Pul Pahladpur Badi Masjid, Sharma Main Market Wali Gali, Delhi. (At Present Confined In District Jail Kotputali).
2. Mohmmad Tareek S/o Shri Shayar Ali, Aged About 23 Years, R/o Jertha, Police Station Jarifnagar, District Badayun, Uttar Pradesh, Presently Resident Of Sameer Ka Makan No. 142, Pul Pahladpur Badi Masjid, Sharma Main Market Wali Gali, Delhi. (At Present Confined In District Jail Kotputali).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Manish Kumar Meena, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Ms. Manju Dave, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Order**

**19/08/2026**

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी जमानत हेतु यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–पनियाला, कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–84/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अभियुक्तगण दिनांक 10.06.2026 से अभिरक्षा में हैं, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है,

विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी के ट्रक को चुराने का आरोप है। प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 10.06.2026 से अभिरक्षा में हैं, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. तारीक पुत्र नबी हसन तथा 2. मोहम्मद तारीक पुत्र शायर अली** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

80/DINESH KUMAWAT